तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
26/7/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०/गत पेशी पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेशार्थ नीयत की गई थी। पत्रावली व मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के अन्तिम निर्णय तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम की जानी न्यायोचित है। मौके व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन होने से वाद के निस्तारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जाती है की ता फैसला मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान खेत खसरा नं० 126 मौजा ग्राम बावरला तहसील व जिला जोधपुर का बेचान हस्तान्तरण ना करें व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी मूल पत्रावली हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... जोधपुर	